

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क.सं. 01 मुकाम राजगढ़ जिला चूरु

सरकार बनाम संदीप वगैरह आदि

किस्म मुकदमा सेशन प्रकरण संख्या 38/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.2025	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण 1..बंशीलाल 2. सुमित उर्फ लोरिया 3. राजेश उर्फ टाडा 4. भागीरथ उर्फ मंगला 5. अशोक 6. संपत नेहरा 7. सुमित उर्फ चीता 8. अभियुक्त राहूल जेसी से अनुपस्थित जिनके केवल जेसी वारंट ही प्राप्त हुए है। 9. अभियुक्त श्याम सिंह उर्फ टोनी अनु0। अभियुक्त श्याम सिंह प्रोडक्शन वारंट से उपस्थित नहीं तथा ना ही प्रोडक्शन वारंट प्राप्त हुआ है। अभियुक्तगण 10. सोमवीर पुत्र कर्णसिंह 11.रमेश कुमार 12. सुमित पुत्र रणसिंह 13.अभियुक्त सोमवीर सिंह पुत्र दुलीचंद 14. संदीप पुत्र बलबीर 15. सोमवीर पुत्र जुहाराराम गैर हाजिर जिनकी आज की हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। साक्ष्य अभियोजन में गवाह पीडब्ल्यू 31 आशीष ,पीडब्ल्यू 32 राजेन्द्र सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये। गवाह संख्या 9 सुरेश की तामील अदम प्राप्त हुई है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह पीडब्ल्यू 33 दीपक व 34 मनोज कुमार के बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 42 ता 45 को जरिये जमानती वारंट 5000/रुपये से दिनांक 06.08.2025 के लिए, गवाह संख्या 46, गवाह दयाराम व संजय पूनियां को जरिये जमानती वारंट 5000/रुपये से दिनांक 08.08.2025 के लिए तलब किये जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन में मुकर्रर दिनांक 28.07.2025 को पेश हो। तब तक अभियुक्तगण 1..बंशीलाल 2. सुमित उर्फ लोरिया 3. राजेश उर्फ टाडा 4. भागीरथ उर्फ मंगला 5. अशोक 6. संपत नेहरा 7. सुमित उर्फ चीता 8. अभियुक्त राहूल की जेसी अवधि बढ़ाई जाती है।  अपर सेशन न्यायाधीश क्र.सं. 01 राजगढ़ (चूरु)	